संख्या- 16/2016/193/22-4-15-48(70)/94टीसी-3

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 22 फरवरी, 2016

विषय- नवीन जिला कारागार, आजमगढ़ के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बनध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4013/नम-5/44/वैल्यूम-IV, दिनांक-11 फरवरी, 2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-2663/22-4-11-48(70)/94टीसी-3, दिनांक 09.12.2011 तथा शासनादेश संख्या-06/2015/1289/22-4-14-48(70)/94टीसी-3, दिनांक 09.01.2015 शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय नवीन जिला कारागार, आजमगढ़ के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 5,75,50,000/-(रूपया पॉच करोड़ पिचहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्गत मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 09.12.2011, पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 09.01.2015 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के गनामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 16 /2016/193(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, आजमगढ़।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।